



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैरइरादतन हत्या के अभियोग में अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 21,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 434/2020 धारा- 302,323,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)दध,3(2)5 एसएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एसएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र मूलचन्द्र प्रजापति निवासी- धमना थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए धारा 304(2), 323 भा0द0सं0 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 21,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री विजय सिंह



विवेचक-  
सीओ अखिलेश  
राजन



पैरोकार- थाना राठ  
का0 प्रदीप भार्गव